कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टावर–ए, पेनिंसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
परिक्षेत्र कार्यालय का पता :– 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली –110060

मांग–सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड(सीजीएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (''उक्त उधारकर्ता (ओं)''), को जारी की गई संबंधित मांग नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशियों जो नीचे भी दी गई हैं ,को चुकाने के लिए कहा गया है । उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि, साथ में तारीख से आगे लागू ब्याज (ब्याजों) उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजोंध्लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय भुगतान औरध्या वसूली की तारीख तक नीचे उल्लिखित सीजीएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा गया है। ऋण की देय भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियां उक्त ऋणी द्वारा क्रमशः सीजीएचएफएल को गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारन्टों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNHLNO4000080090 (पुराना) 50300000775048 (नया) (नोएडा शाखा) श्री वैभव राणा (उधारकर्ता) श्रीमती रेखा रानी, छ्श्री सुमित कुमार (सह–उधारकर्ता)	15–02–2025 रु. 38,79,865	आवासीय संपत्ति वाले फ्लैट संख्या 1005, सुपर एरिया 1550 वर्ग फीट और कवर्ड एरिया 1240 वर्ग फीट, 10वीं मंजिल, बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक/टावर संख्या डी–4, भारत सिटी फेज–1, इंद्रप्रस्थ योजना, गांव निस्तौली, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश।

यदि उक्त ऋणी पूर्वोक्त के अनुसार सीजीएचएफएल को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उपरोक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर आगे बढ़ेगा कथित। उक्त उधारकर्ताओं को सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्यथा पट्टेदार को स्थानांतरित करने से अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनीति नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन किया है, वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/ या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः दिल्ली **हस्ता./– (अधिकृत अधिकारी),**
दिनांकः 23.02.2025 **कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए**

जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, एनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्तिः 1. पुनित बोहरा – 9413746022, 2. रोहन सावंत – 9833143013, 3. ज्योति सावंत – 022–6224 1676

ई–नीलामी बिक्री सूचना– नवीन बिक्री

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 29 मार्च, 2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ–साथ उस पर सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ ऋण (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) का एक पूल असाइन किया है, जो जेएमएफआरसी (जेएम) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में जेएमएफआरसी – अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। यह सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट / सेवा समझौते के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/ संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल संपत्ति जो भौतिक कब्जे में है, उसे 'जहां है जैसा है' के आधार पर, 'जो कुछ भी है जैसा है' के आधार पर, खरीद के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ उधारकर्ता (ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं)	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता–अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10:)	बकाया राशि (19–02–2025)
ऋण कोड संख्याः 00900010055, जयपुर – एमआई रोड (शाखा), सरोज जैन (उधारकर्ता), प्रशांत जैन (सह–उधारकर्ता 1) प्रियांक जैन (सह–उधारकर्ता 2)	दिनांकः 27–05–2021, रु. 9,07,488/–, (रु. नौ लाख सात हजार चार सौ अठ्ठासी मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका विस्तार है:–यूनिट संख्या जी–2 पी. सं. ए– 46 श्री श्याम अटिका सिवार रोड सिरसी रोड जयपुर राजस्थान आईएन 302012 सीमाएं:– उत्तरः रोड दक्षिणः पी. सं. ए–57पूवः पी. सं. ए–47 पश्चिमः पी. सं. ए–45	रु.8,96,880/– (रु. आठ लाख छियानबे हजार आठ सौ अस्सी मात्र)	रु. 89,688/–, (रु. नवासी हजार छह सौ अठ्ठासी मात्र)	रु. 15,83,314/–, (रु. पन्द्रह लाख तिरासी हजार तीन सौ चौदह मात्र)

ई–नीलामी की तिथिः 27–03–2025 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ),बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 26–03–2025 को शाम 4.00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale** OR **https://www.bankauctions.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री नोटिस,

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ धारा 13(2) में उल्लिखित राशि का पूरा भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष बकाया, यदि कोई हो, को ब्याज और लागत के साथ उधारकर्ता/गारंटर से वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 23 फरवरी, 2025, स्थानः राजस्थान **हस्ता /– (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्य – ट्रस्ट)**

जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025,
दूरभाषः +91 2266303030, **फैक्सः** +911 2266303223, **वेबसाइट :** www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्तिः 1. पंकज कश्यप- 9136178689, 2. रोहन सावंत- 9833143013, 3. प्रशान्त मोंडे- 022 - 6224 1676,

ई–नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (19-02-2025)
ऋण कोड संख्याः 133000000435, दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा), मोहम्मद युनुस (कर्जदार), नजमा बीबी (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 28-06-2021, रु. 1369507/-, (रुपए तेरह लाख उनहत्तर हजार पांच सौ सात मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः- फ्लैट नंबर सी-285 बी द्वितीय तल, ब्लॉक-सी लाजपत नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201001 सीमाएंः- उत्तरः प्रवेश दक्षिणः खुला पूर्वः सीढ़ी पश्चिमः अन्य फ्लैट	रु. 931000/-, (रुपए नौ लाख इकतीस हजार मात्र)	रु. 93100/-, (रुपए तिरानबे हजार एक सौ मात्र)	रु. 2351737/-, (रुपए तेईस लाख इक्यावन हजार सात सौ सैंतीस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 01400002871, नोएडा - सेक्टर 2 (शाखा), विनोद कुमार (कर्जदार), सोनी कौल (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 18-11-2016, रु. 3279960/-, (रुपए बत्तीस लाख उन्यासी हजार नौ सौ साठ मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः- प्लॉट नंबर-7/76, प्रथम तल सेक्टर 2 राजिंदर नगर सेक्टर 2 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201011सीमाएंः- उत्तरः प्लॉट नंबर-109 दक्षिणः प्लॉट नंबर-75 पूर्वः प्लॉट नंबर-75 पश्चिमः सड़क	रु. 6102000/-, (रुपए इकसठ लाख दो हजार मात्र)	रु. 610200/-, (रुपए छह लाख दस हजार दो सौ मात्र)	रु. 10648906/-, (रुपए एक करोड़ छह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ छह मात्र)
ऋण कोड संख्याः 24900001704, दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा), इंद्रजीत सिंह (कर्जदार), शोभा (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 22-02-2022, रु. 2366974/-, (रुपए तेईस लाख छियासठ हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः- फ्लैट नंबर-जीएफ-02, ग्राउंड फ्लोर (एचआईजी), 01/12 रियर साइड, डीएलएफ अंकुर विहार, हदबस्त गांव-सादुलाबाद, उत्तर प्रदेश भारत 201102 सीमाएंः- उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः प्रवेश/सड़क 30 फीट चौड़ा पूर्वः प्लॉट नंबर-सी-1/13 पश्चिम प्लॉट सं.सी-1/11	रु. 1845000/-, (रुपए अठारह लाख पैंतालीस हजार मात्र)	रु. 184500/-, (रुपए एक लाख चौरासी हजार पांच सौ मात्र)	रु. 3566147/-, (रुपए पैंतीस लाख छियासठ हजार एक सौ सैंतालीस मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 12-03-2025, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 11-03-2025, शाम 4.00 बजे तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale** या **https://www.bankauction.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस

उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 23.02.2025, **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)**
स्थान : दिल्ली **(अरण्या-ट्रस्ट)**

---

punjab national bank — Together for the better

क्षेत्रीय सस्त्र केंद्र, मुंबई
पीएनबी प्रगति टॉवर, प्रथम तल, भूखण्ड सं. सी–9, ब्लॉक–जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई– 400051, **ईमेल :** zs8356@pnb.co.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनागत / भौतिक / सॉकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिये, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणकर्ता / गारंटरों का नाम एवं पता, खाता	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण / स्वामी का नाम (संपत्ति / यों के बंधककर्तागण)	की धारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि ख) 31.12.2024 के अनुसार बकाया राशि ग) सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिग्रहण तिथि घ) अधिग्रहण की प्रकृति– सॉकेतिक/भौतिक/रचनागत	क) आरक्षित मूल्य (रू. लाख में) ख) धराज ग) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/ समय	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण
1.	क्षेत्रीय सस्त्र केंद्र / मैसर्स रोल्टा प्राइवेट लिमिटेड / मैसर्स रोल्टा प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) और मैसर्स रोल्टा होल्डिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर और बंधककर्ता) दोनों का पता : पंजीकृत कार्यालय : 211, 21वां तल, मेकर टॉवर एफ, कफ परेड, मुंबई– 400005 श्री कमल कृष्ण सिंह (प्रवर्तक / गारंटर) निवासी– 141/151, मेकर टॉवर ए, कफ परेड, मुंबई, 400005	संपत्ति 1. भूखंड और भवन के समस्त वह भाग तथा अंश जिसे प्लॉट/शेड नंबर 187, फेज 1 के नाम से जाना जाता है जो औद्योगिक एस्टेट, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, जिसका भूखंड अधिमापन 7800 वर्ग मीटर है। मैसर्स रोल्टा प्राइवेट लिमिटेड	क– 18.06.2019 ख– रु. 450.85 करोड़ साथ में भावी ब्याज और शुल्क, एनपीए की तिथि से वसूलियां, यदि कोई हों, तो उन्हें घटाकर ग– 19.08.2019 घ– सॉंकेतिक अधिग्रहण	क– 30350.00 ख– 3035.00 ग– 0.50	19–03–2025 को 11:00 बजे से 04.00 बज	ज्ञात नहीं
2.		संपत्ति 2. परिसर संख्या 211, 21वां तल, लगभग 5899 वर्ग फीट का अधि निर्मित क्षेत्रफल, साथ ही 2 अपार्टमेंट निजी छत, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3663 वर्ग फीट है, जो मेकर टॉवर्स एफ, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मेकर टावर्स में, प्लॉट संख्या 73ए, 74, 83, 84 और 85, ब्लॉक वी, कफ परेड, सीटीएस संख्या 641, कोलाबा डिवीजन, मुंबई, 400005 में स्थित है। मैसर्स रोल्टा प्राइवेट लिमिटेड	क– 18.06.2019 ख– रु. 450.85 करोड़ साथ में भावी ब्याज और शुल्क, एनपीए की तिथि से वसूलियां, यदि कोई हों, तो उन्हें घटाकर ग– 19.08.2019 घ– सॉंकेतिक अधिग्रहण	क– 4190.00 ख– 419.00 ग– 0.50	19–03–2025 को 11:00 बजे से 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

नियम तथा शर्तें : विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित भावत शर्तों के अधीन किया जायेगा।
1. संपत्तियों का विक्रय "जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'' तथा "वहां जो कुछ भी है आधार" पर बेची जा रही हैं।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. बिक्री 19.03.2025 को मध्या. 11.00 से अप. 04.00 बजे तक वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी।
4. विक्रय के विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए, कृपया देखें : https://baanknet.com – www.pnbindia.in

हस्ता./–
पंजाब नैशनल बैंक
स्थान : मुंबई **प्रतिभूत ऋणदाता**
दिनाँक : 23–02–2025 **मोबाइल : 8637084022**

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत सॉविधिक विक्रय सूचना

IndiaShelter Home Loans — इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

पंजी. कार्यालय :– प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002,
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, प्लॉट नंबर 5/सी/5, प्रथम तल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ –312 001 एवं शाखा कार्यालय : प्रथम तल, श्री सुदर्शन, निकट गायत्री आश्रम, अजमेर रोड, भीलवाड़ा –311001 एवं शाखा कार्यालय : दुकान नंबर 2, प्रथम तल, मोड द मॉल, चुंगी नाका असीन्द भीलवाड़ा –311301,

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का सांकेतिक कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती लक्ष्मी, श्री/श्रीमती बाबू, श्री/श्रीमती दिनेश लाल लोहार निवास पता : मकान नंबर 3, पट्टा नंबर– 29, ग्राम–फकोलिया, जी.पी.– चिताम्बा पी.एस. – करेडा, जिला– भीलवाड़ा, राजस्थान–311804 ऋण खाता संख्या : HL12CHLONS000005064600	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या– 29, बही नं. 19, ग्राम – फकोलिया, जी.पी.– चिताम्बा पी.एस.– करेडा, जिला– भीलवाड़ा, राजस्थान–311804., कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट. सीमा :– पूर्व– आम रास्ता, पश्चिम– ओंकार लाल लोहार का मकान, उत्तर–सुखा/चोगा लोहार का मकान, दक्षिण–मिट्ठू लोहार का मकान	मांग सूचना 12–11–2024 रु. 588101/– (रुपये पांच लाख अट्ठासी हजार एक सौ एक मात्र) 09.11.2024 तक देय, साथ में 10.11.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	17–02–2025 सांकेतिक कब्जा
श्री/श्रीमती ललिता रेगर एवं श्री/श्रीमती सत्यनारायण निवास पता :120, नई बस्ती, पट्टा नंबर 31, गांव सदास, जीपी– सदास, पीएस– गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान– 312901 ऋण खाता संख्या : HL31CHLONS000005028890	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 31, बही सं. 12, गाँव सदास, ग्राम–सदास, थाना– गंगरार, जिला. चित्तौड़गढ़ राजस्थान–312901, सीमा :– पूर्व–आम सड़क, पश्चिम–मदन लाल जी जैन, उत्तर–भगवान लाल रेगर, दक्षिण–गोपाल/उदा खटीक,	मांग सूचना 12–11–2024 रु. 593954/– (रुपये पांच लाख तिरानबे हजार नौ सौ चौव्वन मात्र) 09.11.2024 तक देय, साथ में 10.11.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	20–02–2025 सांकेतिक कब्जा
श्री/श्रीमती गीता बाई लोहार श्री/श्रीमती किशन लाल लोहार पताः वार्ड नंबर 02 रामदेव कॉलोनी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ 312901 राजस्थान, अन्य पता : पट्टा नंबर 24 आराजी नंबर 1021/4378 गांव और जीपी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान– 312901 ऋण खाता संख्या : HL31CHLONS000005036271	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पट्टा संख्या 24 आराजी संख्या 1021/4378 गांव और जी पी गंगरार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312901 चित्तौड़गढ़ सीमा :– पूर्व– सड़क, पश्चिम– सरकारी भूमि, उत्तर– गैसी नाड़ा की पाल, दक्षिण– हीरा लाल, पन्ना लाल साल्वी	मांग सूचना 12–11–2024 रु. 488221/– (रुपये चार लाख अट्ठासी हजार दो सौ इक्कीस मात्र) 09.11.2024 तक देय, साथ में 10.11.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	17–02–2025 सांकेतिक कब्जा

स्थान : राजस्थान, तिथि : 23–02–2025 **कृते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)**

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05030) एवं श्री दीपक सुवार (+91 9649990190)

i fl 11 10 DS (21)

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED — कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टावर–ए, पेनिंसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
परिक्षेत्र कार्यालय का पता :– 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली –110060

मांग–सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड(सीजीसीएल) का अधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता (ओं)"), को जारी की गई संबंधित मांग नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशियों जो नीचे भी दी गई हैं ,को चुकाने के लिए कहा गया है । उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि, साथ में तारीख से आगे लागू ब्याज (ब्याजों) उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजोंध्लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय भुगतान औरध्या वसूली की तारीख तक नीचे उल्लिखित सीजीसीएल को भुगतान करने के लिए कहा गया है। ऋण की देय भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियां उक्त ऋणी द्वारा क्रमशः सीजीसीएल को गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / गारन्टों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNMEKKD000022109 (पुराना) 80900005863959 (नया) (नोएडा शाखा) मेसर्स ऑटो एक्सेसरीज इसके मालिक (उधारकर्ता) श्री रहमान सफी, श्रीमती वसीमा बानो (सह–उधारकर्ता) के माध्यम से	15–02–25 रु. 21,94,720	भूमि और मवन नंबर 1417, दूसरी मंजिल , बिना छत के अधिकार के, भूमि क्षेत्र 30 वर्ग मीटर, यानी 323 वर्ग फीट, गली चूले वाली, पान मंडी के पास, सदर बाजार, दिल्ली – 110006 में स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश। निम्नानुसार सीमाबद्ध : उत्तरः नीचे सड़क, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पूर्वः नीचे गली, पश्चिमः अन्य की संपत्ति

यदि उक्त ऋणी पूर्वोक्त के अनुसार सीजीसीएल को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उपरोक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर आगे बढ़ेगा कथित। उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्यथा पट्टेदार को स्थानांतरित करने से अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनीति नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन किया है, वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/ या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः दिल्ली **दिनांकः 23.02.2025** **हस्ता./– (अधिकृत अधिकारी), कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड(सीजीसीएल) के लिए**

Piramal Capital & Housing Finance — पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालयः 601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, व्यच. फायर स्टेशन, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070 टी –.+91 22 3802 4000
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं–6, ब्लॉक ए, सेक्टर–2, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201 301
**संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार – 9650606340 2. पंकज कश्यप – 9136